

शांधिकार से शकाश्यक PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 2

नई विस्सी, शनिवार, जनवरी 11, 1986/पौँव 21, 1907

No. 21

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1986/PAUSA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्य भे रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be thed as a separate compliation

> भाग जिल्लाक उल्लाहरू (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षां मंज्ञालय को छोड़कर) मारत सरकार के मंत्रालयों भीर (संग्र राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण मियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि स्विधित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक और प्रक्रिकण प्रकासनिक सुधार और लोक क्रिकायत तथा पेंकन मंत्रालय

(हर्नित और प्रशिक्षण विभाग)

नर्ष दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 16:—राष्ट्रपित , संविधान के धनु-छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रवत्त सकितयों का प्रयोग करते हुए और केटीय भन्वेषण तननीकी सलाहकार क्यूरों (लेखा और प्रायकर) ती नियम, 1970 तथा केट्रीय भन्वेषण स्यूरों तकनीकी प्रभाग में वर्ण 1 और वर्ण 2 पर भर्ती नियम, 1970 को, उन वांसों के सिवाय मधिकान्त करने हुए जिन्हें ऐसे मधित्रमण से पहले किया गया है मा करने का भोग किया गया है, केन्द्रीय अन्वेषण ध्यूरों में समूह "क" और समृह "ब" के कुछ पर्वो पर भर्ती की पढ़ति का विनियमन करने के लिए निस्नौतिखत नियम बनाते हैं, धर्मात् :—~

- ा. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मध्येचण ज्यूरो (समृह "क" और समृह "क" तकनीकी पद) भर्सी नियम, 1985 है।
 - (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लाग होता :---ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों की लागू होंगे ।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :-- उक्त पदीं की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त मनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिधिष्ट हैं।
- 4. तीं की पदाति, आयु-सीमा, और अन्य आईताएं भाषि :--जनत पदों पर भर्ती की पदाति, आयु-सीमा, आईताएं और जनने संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्म 5 से 13 में विनिधिक्ट हैं।
 - 5. निरहेता: वह व्यक्ति---
 - (क) जिसने ऐसे ध्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (छा) जिसने धपने पति या अपनी परनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, कक्त पदों में से किसी पर निय्कित को पांध नहीं होंगा:

Whether age and educational qualifica- Period of proba-Method of recruitment, whether In case of recruitment by promotions prescribed for direct recruits will tion if any by direct recruitment or by protion/deput.tion/transfer greec apply in the case of promotees. motion or by deputation/transfer from which promotion/coputaand percentage of vacancy to be tion/transfer to be made. filled by various methods. 10 المنافق بي بد مايد و وساوم وسا Not applicable By direct recruitment If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. composition. والمراق المراق ا . بعد مد مد مد بر با يقالم من اها مداهما جيا من اهما حيامي من اسا حياهما جياهما جو اهما جما اهما اهما اهما اهما الاستهديجية يجود مد المستقدمين بيزيد. إنها المداهد إلله المداهد إلله المداهد 1. Head of Burns, Plastic and Max Surgery-Chairman Not applicable 2. Specialist Grade I-Member 3. Chief Administrative Officer-Member

[N v. A-12018/68/85-RR (H)] H. S. DHAKAALIA, Under Sec y.

परिवहन संज्ञालय

(जल, भूतल परिवहन विभाग)

(नौबहुन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 विसम्बर, 1985

मुद्धि-पक्ष

(बाणिज्य पोत परिवहन)

सा. का. नि. 29:-- भारत के राजपक्ष भाग, 2 खण्ड 3, उपखंड (1) तारीचा 16-3-1985 के पृष्ठ सं. 714 से 715 पर प्रकासित, भारत सरकार के नौवहन भीर परिधहन मंत्रालय (नौबहन पक्ष) की श्रक्षि-सूचना सं. सा. का. नि. 278, तारीचा 1-3-1985, में--

- (1) प्रारंभिक पैरा में, पंक्ति 4 में "झ्यक्ति" के स्थान पर "झ्यक्तियों पढ़ें।
- (2) नियम 2 परन्तुक की पंक्ति 4 में "ग्रसाद्य" के स्थान पर "असाध्य" पढ़ें।

युष्ठ 715 पर, प्रधिसुचना के प्रत में टिप्पण में:--

- (1) खंड 1 में पंक्ति 2 में "प्रकातिश" के स्थान पर "प्रकाशित" पढ़ें।
- (2) क्रंड (2) में पंक्ति 3 में "1975" क्रंकों के स्थान पर "1974" क्रंक पर्दें।

[सं. एस इब्ल्यू/एम टी पी (4)/80-एम टी] एस. सिथल, प्रवर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Deptt. of Surface Transport)
(Shipping Wing)

New Delhi, the 20th December, 1985
CORRIGENDUM
(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 29.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Shipping Wing) No. G.S.R. 278, dated the 1st March, 1985 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 16th March, 1985 at pages 715 to 717,—

(in page 715)-

- (1) in column I, in lines 13 and 14 for "and whereas the said Gazette was made available to the coived" read "And whereas no objection or suggestions have been received."
- (2) in column II,—
 - (i) in line 12 for "sub-rule" read "sub-rules";
- (ii) in line 37 for "necessary" read "necessary";
- (iii) in line 57 for "erempt" read "exempt";
- (iv) in line 60 for "said rule" read "said rules";
- (v) in line 66 for "temporary" read "temporarily". Page 716,—
 - (1) In column I in line 8 for "(Crew Accommodation Rule, ' read "(Crew Accommodation) Rules, '.

[No. SW|MTP(4)|80-MT] S. SYNGHAL, Under Secy.

सुचना और प्रसारण मंत्रालय

नई विस्ली, 23 विसम्बर, 1985

सा. का. नि 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुकटेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त सकितों का प्रयोग करने हुए और स्वना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/21/59 वी.ए. तारीख 27-5-1960 द्वारा जारी किए गए श्राकाशवाणः प्रसारण केन्द्र/कार्यानय, कित्रपय वर्ग 4 पद भर्ती नियम, 1960 तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या 11/52/81-एस. 11/वी.ए. तारीख 11-4-1983 द्वारा जारी किए गए भाकाशवाणे (पेकर/भजदूर) वर्ती नियम, 1983 को श्रीकत्रीत करते हुए, श्राकाशवाणी (भमूह 'च" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं ,श्रथातृ:----

- 1. (i) इन नियमों का संकित्त नाम भाकामवार्णा (समूह "म" पर) भर्ती (बूसरा संगोधन) नियम, 1985 है।
 - (ii) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्त होंगे।

2. माकशर्माणी (समूह "ध" पर्व) अर्ती नियम, 1964 को भनूमूर्ची में कम संख्या 17 मीर उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्मात निम्निनिश्चित सन्तर्भाषित किया जाएगा, भर्मात् :--

उपायनधा "क"

सुबना और प्रसारण नंत्रालय महानिदेशक/प्राकाशनाणी

स्दुडियो परिसर भीर स्टुडियों गार्ड पद के लिए भर्ती नियम

भ**नु**सूची

पद का नास	पदों की वर्गीकरण संख्या		़ वेतनमान	चयन पद प्रथमा भ्रचयन पद		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए घायुसीमा 2	
1	2	3	4	5	6	7	
ा 8. स्टुडियो परिचर	59	समूह "म" प्रराज्यक्रित	210-4-250 व . से5-270 रू	म्र चयन	लागू न हीं होता	25 वर्ष भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कादेशों के मनुसार प्रनुस्चित जाति भीर भनुस्चित जनजातिमों तथा अन्य त्रिशेष प्रवर्गों की देशा में निष्यंत को	
19. स्टुबियो गार्ड	23	समूह "ष" भराजपन्नित	200-3-208-4-23ं4 स. रो4 250 म्ब	प्रचयन	ला म् महीं होता	25 वर्षे भारत संरकार द्वारा समय-समय पर जारी; कए गए भादेशों के श्रनुसार भनुस्चित जाति भौर श्रनुसूचित जन- जातियों तथा श्रन्य विभेष प्रवर्गों की देशा में शिषिल की भा सकती है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रीक्षक और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिक्रीक्षा की भ्रवधि यदि कोई हो
भ्रव्य भर्तेताएं विहित भ्रायु भीर प्रीक्षक महैताएं प्रोक्षत
व्यक्तियों की बगा में लागू होगी या नहीं

8 9 10

18. मिडिल स्कूल स्तर, युगठित भरीर, कर्मठ तथा अंग्रेजी नहीं वो वर्ष
योलने भीर समझने की योगला

19. मिडिल स्कूल स्तर, युगठित भरीर, कर्मठ तथा अंग्रेजी नहीं वो वर्ष
बोलने भीर समझने की योगला

भर्जी की पढ़ित भर्ती सीधे होनी या प्रोक्ति द्वारा या प्रतिनिधुवि विभिन्न पढ़ित्यों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानास्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रीणय विनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानास्तरण किया जाएगा				
11				12	
18 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा सीधी भरती द्वारा	, दोनो केन हो सकने पर		उसी कार्यालय के व :श्रकाशवाणी के व		
19. प्रोफ्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानास्तरणद्वारा संध्यो भूती द्वारा	ा, बोनों के महो सकने पर ————————————————————————————————————		प्राकाशवाणी के उसी -भाकाशवाणी के कस्य		
यदि विभागीय प्रोस्तित समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने किया ज	में किन परिस्थितियों प्येगा ।	में संघ लोक सेवा श्र	ायोग से परामण	
13	رين المقادمة عن مع من المقادمة PM PM المقادمة المقادمة المقادمة المقادمة المقادمة المقادمة المقادمة المقادمة ا	APILA MARIE RIPORTO ELVAN ALVANDA	1.4		
(i) केन्द्र/कार्यालय का प्रधान श्रध्यक्ष (ii) उप निवेशक (एन एस डी) ए एस. डी-1 ए एर का भारसाधक ए एस डी) ए एस ई है जहां एक को नामनिर्विष्ट किया जा सकेगासदस्य (iii) ए मो/एच सी (जहां ए घो/ एच सी उपलब्ध भ्रत्य अधिकारी) को, जो भ्रष्ट्यायों के कार्य से भृष् जा सकेगासवस्य (ii) अप-निवेशक (एन एस डी)/ए एस डी-(ए एस ई) धारसाधक ए एस डी/ ए एस ई हैं वहां एक को नामनिर्विष्ट किया जा सकेगासवस्य (iii) ए ओ/एच सी (जहां ए घो/एच सी उपलब्ध घिकारी) को, जो श्रद्ध्यायों के कार्य से सुपर्गि सकेगासवस्य	पी ई एक्स/ए ई में से महीं हैं वहां वह किसी ऐं। पित्रकत हो, सहयोजित किस अहां केन्द्र/कार्यालय का पी ई एक्स/ए ई में से	ा १स्य	·	नहीं होता गूनहीं होना	
1 2 3	4	5	6	7	
20. पैकर/मजदूर 9 समृह "भ" घराजपक्षित	196-3-220- व . रो3-23? न	एक्यन	लागूनहीं होता	टिप्पण:श्रायु धारित फरने निर्णायक ह श्रीतम तारीख तक रोजगार	कार्यालय (से के लिए
8	9 ,	10	u र व्यक्ते कार्र अस्तरक त्यार - व्यत्तर र स्वत्तरे व्यत्तर त्यार्थ व्यत्तर त्यार्थ व्यत्तर त्यार्थ व्यत	11	12
श्रावश्यकः :—पार्सेल चैक करने झौर खोलने तथा पार्सेल मेजने का कुछ श्रनुभव बांछतीयः हिन्दी झौर झग्नेजी पढ़ने झौर लिखने की योग्यता	लागू नहीं हो ता	दो वर्ष	मतप्रतिमत सीधी भ भारंभिक प्रकम पर वि श्रमिकों में से भरी व भारती सेवा में कार्य व समय पर जारी किए देशों के निवस्थनों के ब	र्षितयां ऐसे आकस्मि आएंगी जो विविध कर रहें हैं भीर सम गए सरकारी बनु-	-

13

(i) केन्द्रों कार्यालयां का प्रधान-- अध्यक्ष

लागू नहीं होता

(ii) सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इत्तीनियर (कार्यक्रम कार्यपाल/सहायक इंजीनियर अहा महायक केन्द्र निवेशक/सहायक इंजीनियर कार्यालय

का प्रधान है~- भदस्य

मन नियम , जिसका संक्षिप्त नाम श्राकाणवाणी (समूह "व" पव) भर्ती नियम, 1964 कहा जाना है श्रिधिसूचना सं. 11(3)/60-धी (ए) सारीख उ(म)}-३:७५३ (सा. का. नि. स. 1777 ता - 30-11-1964) द्वारा अधिमूचिन किए गण्ये श्रीर तत्पक्षात् उनके निम्नलिखत मंगोधन श्र**धिसुचित** किए गएई ---

- ा प्रविस्**चना** नं. 11(5)/60 **में** (ए) सारीख 18-11-1965
- 3. अधिसूचना सं1 7/2/67- र्व1 7/2/67- र्व1 1/2/67
- ं 3. अधिचतेना सं . 20/4/67-र्यः (ए) तार्रा**क्ष**ा । 1-1-1968
- प्रिधसूचना सं. 7/1/68-वी (ए), तारीख 7-3-1965
- अधिसृष्या सं. 11/12/70-वी/(ए), तारीख 15-4-1968
- प्रिक्षचना सं. 1/17/73-की(ए), तारीख 13-11-1975
- श्रधिमुचना सं. 1/17/73-बी (ए), तारीख 18-2-1976
- प्रिक्षमूचना स. 1/1/76-मी(ए) वारोख 28-9-1976
- मधिसूचन 6 सं. 1/12/76- वीत्(ए), तारीखे 12-5-1976
- २०), ऋधित्वतामं, 12019/5/76-वा (ए), तारोख 21-6-78
- 11. श्रिधियुचना स. स. 12019/4/78--बी (ए) तारीख 5-8-1978
- ा±. प्रधिमूचना सं. ा/17/73-वा. (त्), तारोख 10- 9- 1976
- 13. प्रशिसुचना सं. 1/13/75-मी (ए) तारीख 9:- 1- 1981
- 14. अधिसूचना स. 1/13/75-बा(ए), तारीख 7-9-1981
- . 5. प्रधिमूचना सं. 11/52/61-एस-2/वी (ए), तारीख 11-4-1983
- ₁₀. प्रधिमुक्तना सं. 11/31/84-एस-2/वी(ए) नारीख 16-3-1965

[सं. एफ. 11/21/84-एस-2वी (ए)] पी० एम० टोकस, भवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd December, 1985

G.S.R. 30 —In exercise of the powers conferred by the proviso to atticle 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio Broadcasting Stations Offices 'Certain Class IV posts 'Recruitment Rules, 1960 issued vide Ministry of Information and Broadcasting's notification number 8[2]159-BA dated 27-5-1960 and All India Radio (Packer Mazdoor) Recruitment Rules, 1983 issued vide Ministry of Information and Broadcasting notification number 11 52 81-S.II B(A) dated 11-4-1983, the President hereby makes the

following rules further to amend the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964, namely.

- (i) These rules may be called the All india Radio (Group 'D' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1985.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the schedule to the All India Radio (Group D' posts) Recruitment Rules, 1964 after S. No. 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

Name of Post	No. of Posts	Classifica- cation	Scale of pay	Whether Selection 'I post or a selection post	. added	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
	2		4	5	6		8
1 . Studio Attendant	59	Group 'D' Non- Gazetted	Rs. 210-4- 250-EB-5- 270	Non- Selection		25 years relaxable in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribe and other special categories in accordance with the order issued by the Govt. of India from time to time.	s Énglish.

, 1	2	3	4	5		6		7	,		8	
19. Studio Guard	Ŋ	roup 'D' on- azetted	Rs. 200-3- 206-4-234- EB-4-250.	Non- Selec		Not applicable	25 years in the car Schedule and Sc Tribes an speial car accordans orders in the Gove from time	se of call call call call call call call cal	istes ided ther ies in ith the I by India		tive and and u	lard, well d able to nderstand
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation. if any	ther by by pro- putation percent	y direct recti motion or by nt/transfer tage of the va be filled by var	de- and can-	deputa from w	of rectt, by pr tion/transfer, t hich promotic ransfer to be t	grades on/depu-		DPC ex		in whi	ich UPSC be con- in
9	10		11			12			,	13		14
18, No	Two years	whic ing	promotion facts by transfer, both by distinction distinctions of the both by distinction d		Studio Sorte Transi Studi	o Attendant f ions/offices of	o office. from other	(ii)	Office Deput case of Division Station Assistation in-character office, Progra Assistation Office (where Office are not any of is farm work of the Deput Case of the Case of th	of Station/ —Chairman y Director (i) of News Serv on)/Assistant n Director/ ant Station eart Station or/Astistant n engineer in inge of a station one of the timme Execut ant Engineer e nominated) —Member instrative r/Head Clerk e Administra r/Head Clerk et available, ther officer w iliar with the of the candid we associated —Member	s son/ ive/ r tive ho ates	applicable
19. No	Two years	which ing	oromotion fi ch by transfer, both by o uitment.		Stat Trans Studio	in the sam ion of All Ind fer: Guards fro ions/offices of	ia Radio.		Office- Deput case of Divisi Statio Assist Engin Assist Direc Statio in-cha office, Progra	of Static n/ —Chairman y Director (in f News Service on)/Assistant n Director/ ant Station eer (where cant Station tor/Assistant on Engineer is arge of a station one of the amme Execu- ant Engineer be nominated —Membe	n ces son/ tive/	applicable

[' 3	•		114 - 27-14-1 11; 12	W (A 11 4 71 1 20)	10.
9	10	11		12	13	14
				·- , <u></u> - ·	(iii) Administrative Officer/ Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk are not available, any other officer who is familiar with the work of the candidates may be associated)—Member	
	<u>-</u>	3 - 4	 5	 6	7 8	
20. Packer, Mazdoor	No	roup 'D' Rs. 196-3- on- 220-EB-3- azetted 232	Non- Selection	Not applicable	18-25 years Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are requested to forward nomination. Essential: Some experience of and unpacking of and despatching cels. Desirable: Ability ro read an Hindi and English	parcel of par d write
 				12		 4
Not applicable	Two years	,		Not applicable	(i) Head of Station/ Not ap Office—Chairman (ii) Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (Programme Executive/ Assistant Engineer where Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer is the head of Office)—Member	- pplicable

The Principal Rules called the All India Radio (Group 'D' posts, Recruttment Rules, 1964 were notified vide Notification No. 11(5)/60-B(A) dated 30-11-1964 (GSR No. 1777 dated 30-11-1964). Subsequently the following amendments were notified:—

- 1. Notification No. 11(5)/60-B(A), dated 18-1-1965
- 2. Notification No. 7/2/67-B(A), dated 16-6-1967
- 3. Notification No. 20/4/67-B(A), dated 11-1-68
- 4. Notification No. 7/1/68-B(A), dated 7-3-68
- 5. Notification No. 11/12/70-B(A), dated 15-4-1968
- 6. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 13-11-1975
- 7. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 18-2-1976
- 8. Notification No. 1/1/76-B(A), dated 28-9-1976
- 9. Notification No. 1/12/76-B(A), dated 12-5-1976
- 10. Notification No. 12019/5/76-B(A), dated 21-6-78
- 11. Notification No. 12019/4/78-B(A), dated 5-8-1978
- 12. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 10-9-1976
- 13. Notification No. 1/13/75-B(A), dated 9-1-1981
- 14. Notification No. 1/13/75-B(A), dated 7-9-1981
- 15. Notification No. 11/52/81-S II/B(A), dated 11-4-1983
- 16. Notification No. 11/31/84-S. II/B(A), dated 16-3-1985

[No. F. 11/21/84-S. H/B(A)] P.S. TOKAS, Under Secy.